रूप-पत्र - 46

(नियम 25 देखिये)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट की धारा 4-क के अधीन नई इकाइयों का जहाँ उत्पादन दिनांक 1 अप्रैल, 1990 या उसके पश्चात आरम्भ हुआ है या वे इकाइयाँ जिन्होंने 1 अप्रैल, 1990 या उसके पश्चात विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण किया है, को कर से छूट या कर की दर में कमी करने के लिए आवेदन।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

क्षेत्र विकास अधिकारी
(उद्योग)
औद्योगिक विकास प्राधिकरण

महोदय,

मैने / हमने 1 अप्रैल, 1990 या उसके पश्चात एक नई इकाई स्थापित किया है। इकाई के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

मेरी / हमारी इकाई मैसर्स.. .. ..प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट की धारा 4-क / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की हकदार है। मै / हम पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित विवरणों सहित 6/8 प्रतियों में प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं ः

1. इकाई का पूरा नाम और पता, टेलीफोन नम्बर सहित, यदि कोई हो.. .. ..
   (क)कार्यालय.. .. ..
   (ख)कारखाना.. .. ..
   (ग) गोदाम.. .. ..

2. इकाई की प्रास्थिति, जो
   (क)मालिकाना
   (ख)भागीदार (भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन जारी किये गये भागीदारी विलेख और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित संलग्न करें)
   (ग) निगम या लिमिटेड कम्पनी है (संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) और भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन जारी किये गये निर्गमन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे)।
   (घ)सहकारी समिति है (उपविधियों और निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा जारी किये गये निबन्धन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे)।

3.मालिक / भागीदार / कर्त्ता / निदेशक / प्रेसिडेन्ट / सचिव /कार्यालयाध्यक्ष / प्रधान अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पूरा पता।

4. विनिर्मित माल और उसके उपोत्पाद और अपशिष्ट उत्पादन का ब्यौरा।

5. लाईसेंस संख्या, रजिस्ट्रीकरण संख्या व दिनांक, औद्योगिक इकाइयों के लाइसेन्सीकरण या रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये औद्योगिक लाईसेन्स या आशय-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (अस्थायी या अन्यथा) की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।

6. विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण का कार्यक्रम हाथ में लेने वाली इकाई के मामले में निम्नलिखित ब्योरा:

(क) स्थिर पूंजी विनिधान-

मूल स्थिर पूंजी

विवरण	विनिधान अक्षयण के लिये कोई व्यवस्था किये बिना)	विस्तार, विविधीकरण, या आधुनिकीकरण में सुविधा के अवधि के प्रारम्भ के दिनांक को अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनिधान	अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनिधान के मूल्यांकन का प्रमाण-पत्र
(एक)भूमि	--	--	जिले के कलैक्टर से
(दो)भवन	--	--	आयकर विभाग द्वारा
	--	--	अनुमोदित मूल्यांकनकर्त्ता से चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से
(तीन)संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र और संघटक			

टिप्पणी - मूल स्थिर पूंजी विनिधान के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

(ख) उत्पादन क्षमता

वस्तु	ऐसे विस्तार या आधुनिकीकरण के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता	विस्तार या आधुनिकीकरण के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि
(एक)	--	--
(दो)	--	--
(तीन)	--	--

(ग) विगत पांच क्रमिक कर निर्धारण वर्षो में उत्पादन (यदि इकाई पांच वर्ष से कम समय से काम कर रही हो तो ऐसी कम अवधि के उत्पादन का ब्योरा)

वर्ष	वस्तु	वार्षिक उत्पादन
.. ..	.. ..	.. ..

(घ) उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अधीन या उ.प्र. के प्रदेशीय औद्योगिक और विनियोजन निगम द्वारा प्रशासित व्यापार कर ऋण योजना के अधीन इकाई द्वारा देय, यदि कोई हो।	सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी से या उ.प्र. के प्रादेशीय औद्योगिक विनियोजित निगम से अनादेय प्रमाण-पत्र संलग्न कीजिये

7. रजिस्ट्रीकरण संख्या और इसकी विधिमान्यता का दिनांक- (क) उ.प्र. व्यापार कर ऐक्ट के अधीन (ख)केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन	विधिमान्य उ.प्र. और केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।
8. छूट की सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक को किसी नई इकाई में स्थिर पूंजी विनिधान की धनराशि	(क) यदि इकाई उधार देने वाली सार्वजनिक वित्तीय संस्था या बैंक के सावंधिक ऋण द्वारा वित्त पोषित हो तो ऐसी संस्था या बैंक से प्रमाण-पत्र। (ख) अन्य मामलों में निम्नलिखित से प्रमाण-पत्र : (एक) भूमि के मूल्य के बारे में जिले का कलैक्टर। (दो) भवन की लागत के बारे में आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्त्ता। (तीन) इकाई में अधिष्ठापित संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र और संघटकों के मूल्य के बारे में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।
9. वित्तीय प्रबन्ध की प्रकृति- (क) स्ववित्त पोषित (ख) सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा वित्त पोषित	ऋण के स्वीकृत-पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।
10. भूमि या भवन का हक - (क) स्वयं स्वामित्व (ख) पट्टे पर ली गई (ग) सरकार द्वारा या सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम या कम्पनी द्वारा आबंटित।	हक विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये। रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये। ऐसे आबंटन-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।
11. (चाहे परीक्षण या वाणिज्यिक आधार पर) उपयोग के लिए या पैकिंग के लिए अपेक्षित कच्चा माल पहली बार खरीदने का दिनांक (इस मद के अन्तर्गत सहायक, सामग्रियां, संघटक पुर्जे और पैकिंग सामग्री भी है)।	कच्चे माल या पैकिंग सामग्री के प्रथम क्रय के बिल की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।
12. उत्पादन के लिए (चाहे परीक्षण या वाणिज्यिक स्तर पर) विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का दिनांक।	विद्युत कनैक्शन की स्वीकृत को सत्यापित प्रतिलिपि के साथ विद्युत मोटर के मुद्रांकन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये। यदि उत्पादन डीजल इंजन या जनरेटर द्वारा प्रारम्भ किया गया था तो ऐसे जनरेटर या डीजल जिन के अधिष्ठान के दिनांक की घोषणा इस स्तम्भ में की जानी चाहिए।
13. विनिर्माण के किसी प्रक्रम के प्रारम्भ का दिनांक	
14. संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, सावित्र और संघटक का ब्योरा।	संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र और संघटक की सूची और विक्रेता का नाम और पते के साथ बिल संख्या, दिनांक और क्रय मूल्य संलग्न की जिए।

15. क्रेता के नाम और पता सहित विनिर्मित माल / उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के प्रथम विक्रय का दिनांक। 16. कोई अन्य सूचना जिसे इकाई देना चाहे।	ऐसे प्रथम विक्रय के बिल की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये।

सत्यापन

मै.. .. .. पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री.. .. ..एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र और इसके संलग्नकों में दिये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि समस्त संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र और संघटक इस इकाई में अधिष्ठापन के पूर्व भारत वर्ष में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में उपयोग में नहीं लाये गये या उपयोग के लिए अर्जित नहीं किये गये। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर से छूट या कर की दर में कमी का दावा केवल हमारी इकाई द्वारा विर्निमित माल के सम्बन्ध में किया गया है और ऐसे माल की बिक्री के सम्बन्ध में विवरणियां सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

स्थान.. ... . प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.. .. .. इकाई के सम्बन्ध में प्रास्थिति।

अवधेय - उन मदों को काट दीजिये जो लागू न हो।

टिप्पणी - सत्यापन निम्नलिखित के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(क) किसी फर्म के मामले में, स्वामी या भागीदार; या

(ख) अविभाजित हिन्दू परिवार के मामले में कर्त्ता ; या

(ग) किसी लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक;या

(घ) किसी सोसाइटी या क्लब या एसोसिएशन के मामले में अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सचिव (सेक्रेटरी) ; या

(ङ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ; या

(च) किसी अन्य मामले में स्वयं व्यापारी या, यथास्थिति, प्राधिकारी या निकाय का मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।